

कार्यालय आयुक्त
आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास
छत्तीसगढ़ नया रायपुर
 ब्लॉक 4 डी, भूतल, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर (छोगो)
 - 2263708 Fax - 2262558

website - tribal.cg.gov.in

E mail - ctd.cg@nic.in

क्रमांक / सा.स्था-05 / न.क. 247 / 2017 / 2413

नया रायपुर,

दिनांक 6-06-2017

// आदेश //

आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विभाग के ज्ञापन क्रमांक / 5947 / 653 / 2013 / 25-1 नया रायपुर दिनांक 23 जुलाई 2013 द्वारा अधीक्षक श्रेणी 'द' के रिक्त पदों को सीधी भर्ती से भरे जाने की अनुमति दिए जाने के फलस्वरूप छत्तीसगढ़ आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास अधीनस्थ शैक्षणिक सेवा संवर्ग (तृतीय श्रेणी अलिपिक वर्गीय) सेवा भर्ती नियम 2011 के नियम 6, 8, 13 तथा अनुसूची 3 में उल्लेखित प्रावधान अनुसार एवं व्यावसायिक परीक्षा मंडल छत्तीसगढ़ रायपुर द्वारा आयोजित परीक्षा परिणाम की प्रावीण्य सूची के आधार पर छात्रावास अधीक्षक श्रेणी 'द' के रिक्त पदों पर निम्नानुसार कालम नं. 02 में चयनित अभ्यर्थियों को छात्रावास अधीक्षक श्रेणी 'द' के पद पर वेतनमान रूपये 5200—20200 ग्रेड वेतन 2400 पर उनके नाम के सम्मुख कालम नं. 7 में दर्शाए गए प्री. मैट्रिक छात्रावासों में आगामी आदेश तक अस्थाई रूप से नियुक्त कर पदस्थि किया जाता है :—

क्र.	अभ्यर्थी का नाम	पिता / पति का नाम	वर्ग	चयनित वर्ग	पता	पदांकित छात्रावास का नाम	पदस्थापना का जिला
1	2	3	4	5	6	7	8
01	श्री संदीप सिंह राजपूत	श्री कामता सिंह राजपूत	सामान्य	अनारक्षित (मुक्त)	मकान नं०-१२, सृष्टि कॉलोनी, राजनांदगांव (छोगो), पिन 491441	प्री. मैट्रिक अ.ज.जा बालक छात्रावास अड्डेगा विकासखंड केशकाल	कोणडागाँव
02	श्री अनिमेष कुमार शर्मा	श्री विजय कुमार शर्मा	सामान्य	अनारक्षित (मुक्त)	पाल काम्प्लेक्स के पीछे, पार्षद कार्यालय के पास, जलगृह मार्ग, टिकरापारा (वार्ड क्र० 56), रायपुर (छोगो), पिन 492001	प्री. मैट्रिक अ.ज.जा बालक छात्रावास बांसकोट, वि. खं. बड़ेराजपुर	कोणडागाँव
03	श्री हरिश कुमार स्वर्णकार	श्री ओम प्रकाश	सामान्य	अनारक्षित (मुक्त)	39/1, सदर बाजार, जैन गली, गांधी चौक, दुर्ग (छोगो), पिन 491001	प्री. मैट्रिक अ.ज. जा. बालक छात्रावास चान्दो, वि.खं. कुसमी	बलरामपुर
04	श्री राहुल पाण्डेय	श्री राजकुमार पाण्डेय	सामान्य	अनारक्षित (मुक्त)	मकान नं०- 49/557, कायस्थ पारा चौक, पुरानी बस्ती, रायपुर (छोगो), पिन 492001	प्री.मै. अ.ज.जा बालक छात्रावास बरबसपुर, वि. खं. भानुप्रतापपुर	कांकेर

1	2	3	4	5	6	7	8
05	श्री युगल किशोर चन्द्राकर	श्री संत प्रकाश चन्द्राकर	अ.पि.वर्ग	अनारक्षित (मुक्त)	शकुनतला स्कूल के पीछे, विजय नगर, दुर्ग (छ0ग0)	प्री.मै. अ.ज.जा बालक छात्रावास बोदानार, वि.खं. अंतागढ़	कांकेर
06	श्री जितेन्द्र कुमार देवांगन	श्री गणेश राम देवांगन	अ.पि.वर्ग	अनारक्षित (मुक्त)	गणेश चौक पोटियाडीह, ग्राम+पोस्ट- पोटियाडीह, जिला-धमतरी (छ0ग0), पिन 493773	प्री.मै. अ.ज.जा बालक छात्रावास कोलर, वि.खं. अंतागढ़	कांकेर
07	श्री अवनीन्द्र प्रताप सिंह	श्री राघवेन्द्र सिंह चौहान	सामान्य	अनारक्षित (मुक्त)	मकान नं0-36 / 42, रेलवे महाराष्ट्र मंडल के पास, रामदास नगर, टिकरापारा, बिलासपुर (छ0ग0), पिन 495001	प्री. मैट्रिक अ.ज. जा. बालक छात्रावास बरतीकला, वि.खं. वाडफनगर	बलरामपुर
08	श्री रुपेश कुमार यादव	श्री मानसाय यादव	अ.पि.वर्ग	अनारक्षित (मुक्त)	फेडस कॉलोनी, तेलीकोट, खरसिया, जिला-रायगढ़ (छ0ग0), पिन 496661	प्री. मैट्रिक अ.ज. जा. बालक छात्रावास उज्जावं, वि.खं. सोनहत	कोरिया
09	श्री पुरुषोत्तम कुमार काबरा	श्री राम गोपाल काबरा	सामान्य	अनारक्षित (मुक्त)	ग्राम+पोस्ट-मड़ेली, तह0-छुरा, जिला- गरियाबंद (छ0ग0), पिन 493996	प्री. मैट्रिक अ.ज.जा बालक छात्रावास कुए, वि.खं. केशकाल	कोण्डागाँव
10	श्री भोज कुमार पटेल	श्री गजेन्द्र कुमार पटेल	अ.पि.वर्ग	अनारक्षित (मुक्त)	ग्राम-बगरैल, पो0-सपोस, तह0-उभरा, जिला- जांजगीर चांपा (छ0ग0), पिन 495692	प्री. मैट्रिक अ.ज. जा बालक छात्रावास रामनगर, वि. खं. कुसमी	बलरामपुर
11	सृष्टि पाण्डेय	श्री राजेश्वर पाण्डेय	सामान्य	अनारक्षित (महिला)	'संकल्प' मिनी टेलीफोन एक्सचेंज के सामने, श्री विहार, सरकण्डा, बिलासपुर (छ0ग0), पिन 495001	प्री.मै. अ.ज.जा कन्या छात्रावास परशुरामपुर, वि. खं. रामानुजनगर	सूरजपुर
12	श्री अमित कुमार	श्री बाला राम	अ.ज.जा.	अ.ज.जा. (मुक्त)	ग्राम-विश्रामपुर, तह0-बड़ेराजपुर, कोण्डागांव (छ0ग0), पिन 494347	प्री. मैट्रिक अ.ज.जा बालक छात्रावास बडबत्तर, वि.खं. बड़ेराजपुर	कोण्डागाँव
13	श्री सूर्य देव मरावी	श्री विजय कुमार मरावी	अ.ज.जा.	अ.ज.जा. (मुक्त)	मकान नं0-357, वार्ड नं0-20, आरामशीन मोहल्ला, नूरी मस्जीद के पास, कोरबा (छ0ग0), पिन 495677	प्री. मैट्रिक अनु.ज. जा. बालक छात्रावास भुलसीकला, वि. खं. कुसमी	बलरामपुर

नियुक्ति की शर्तें निम्नानुसार हैं :—

1. छत्तीसगढ़ शासकीय सेवा (अस्थाई) तथा अद्वशासकीय सेवा नियम 1980 के नियम 12 के अनुसार उम्मीदवार की सेवाएं किसी भी समय किसी एक पक्ष द्वारा एक माह की लिखित सूचना या उसके एवज में एक माह का वेतन व भत्ता देकर समाप्त की जा सकेगी।
2. उम्मीदवार द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात एक माह का नोटिस दिए बिना या उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ते का भुगतान किए बिना शासकीय सेवा छोड़ने पर उक्त शर्त के अधीन देय रकम संबंधित से भू-राजस्व के बकाया की भाँति वसूली योग्य होगी।
3. कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि होगी तथा परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर नियमानुसार नियमित नियुक्ति मानी जावेगी।
4. प्रमाणित किया जाता है कि नियुक्ति में शासन द्वारा निर्धारित आरक्षण नियम एवं रोस्टर का पालन किया गया है।
5. उम्मीदवार को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा जारी स्वास्थ्य प्रमाण—प्रत्र उपस्थिति दिनांक से 15 दिवस के अंदर प्रस्तुत करना होगा। वेतन का पहली बार आहरण स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही किया जावेगा।
6. उपस्थिति प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के दिनांक से 30 दिवस के भीतर छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 19 के अंतर्गत निर्धारित प्रपत्र में अचल संपत्ति का विवरण प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
7. नियुक्ति स्थान पर पद भार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
8. उम्मीदवार को इस आदेश के जारी होने के दिनांक से 15 दिवस के भीतर अपने नाम के समक्ष दर्शाये गये स्थान में कार्यालयीन दिवस पर संबंधित सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास को उपस्थिति देनी होगी, अन्यथा यह मानकर कि वे इस पद पर नहीं आना चाहते हैं, उनका नियुक्ति आदेश स्वमेव निरस्त समझा जावेगा।
9. पदस्थापना कार्यालय में उपस्थिति देते समय शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, स्वास्थ्य प्रमाण पत्र एवं अन्य प्रमाण पत्रों की मूल प्रति प्रस्तुत करनी होगी। संबंधित कार्यालय प्रमुख द्वारा समस्त दस्तावेजों का सत्यापन कर उपस्थिति स्वीकार करने की लिखित सूचना 07 दिवस के भीतर इस कार्यालय को दी जावेगी।
10. अर्हता प्रमाण पत्र/दस्तावेज त्रुटिपूर्ण होने की स्थिति में नियुक्ति, बिना किसी पूर्व सूचना के निरस्त कर दी जावेगी। यदि अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत कोई भी दस्तावेज कूटरचित या फर्जी पाया जाता है तो उन्हें पद से बर्खास्त करते हुए आपराधिक प्रकरण दर्ज किया जावेगा।
11. पुलिस अधीक्षक से प्राप्त अनुप्रमाणन (चरित्र सत्यापन) प्रमाण पत्र में यदि आपराधिक गतिविधियाँ पाई जाती हैं अथवा शासकीय सेवा से अयोग्य घोषित किया जाता है तो उनकी सेवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जावेंगी। इस आशय का शपथ पत्र कार्यभार

ग्रहण करते समय अनिवार्य रूप से प्राप्त किया जावे तथा सेवा पुस्तिका में इसकी प्रविष्टि की जावे।

12. आरक्षित प्रवर्ग (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग) के सदस्य होने संबंधी दी गई जानकारी/प्रमाण पत्र गलत पाये जाने की स्थिति में संबंधित को बिना कोई पूर्व सूचना दिए सेवा से पृथक किया जावेगा तथा उसके विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के तहत कार्यवाही भी की जा सकेगी।
13. वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक 980/सी-761/वि/नि/चार/4 दिनांक 27.02.2004 के अनुसार, नियुक्त अभ्यर्थी के लिए नवीन परिभाषित अंशदान आधारित पेंशन योजना लागू होगी।
14. यह नियुक्ति रिट याचिका WP C No. 591/2012 गुरुद्वासी दास साहित्य एवं संस्कृति अकादमी विरुद्ध छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य में माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर द्वारा पारित अंतिम निर्णय के अध्यधीन होगी।
15. पदस्थापना स्थान से आगामी दो वर्ष तक स्थानानांतरण की पात्रता नहीं होगी।

(आयुक्त द्वारा अनुमोदित)

६/८८८
(जी. आर. चुरेन्द्र)
संचालक

आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास
छत्तीसगढ़, नया रायपुर

पृ. क्रमांक / सा.स्था—05 / न.क. 247 / 2017 / २५१५

नया रायपुर, दिनांक 6-06-2017

प्रतिलिपि :—

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी छ0ग0 शासन, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग, मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर की ओर सूचनार्थ।
2. सचिव, छ0ग0 शासन, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग, मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर की ओर सूचनार्थ।
3. प्रभारी अधिकारी, (छात्रावास/आश्रम शाखा) मुख्यालय नया रायपुर की ओर सूचनार्थ।
4. कलेक्टर, जिला छ0ग0।
5. सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास, जिला छ0ग0।
6. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, छ0ग0।
7. संबंधित श्री/श्रीमती/कु. को पालनार्थ।

६/८८८
संचालक

आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास
छत्तीसगढ़, नया रायपुर